भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3892
17 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

रक्षा पीएसयू

3892. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :
श्री बैन्नी बेहनन :
श्री विनायक भाऊराव राऊत :
श्री गिरीश भालचन्द्र बापट :
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्गों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया है कि रक्षा पीएसयू को मंत्रालय द्वारा अनावश्यक वरीयता प्रदान की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ख) क्या हितों का निहित टकराव ही 'मेक इन इंडिया' पहल को पूरी तरह आगे बढ़ने से रोक रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र-इकाइयों को रक्षा मंत्रालय के पर्यवेक्षण से बाहर करने हेतु दो शीर्ष सलाहकार निकायों को सिफारिशों का आकलन कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (एनएसएबी) ने 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने हेतु रक्षा मंत्रालय का पुनर्गठन करने की सिफारिश की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) रक्षा विनिर्माण की प्रतिस्पर्धा आधार पर रखने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए अथवा प्रस्तावित अन्य क्या कदम हैं, जिसमें पीएसयू और निजी कंपनियों दोनों भाग ले सकें?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : जी, नहीं ।

(ग) : इस मंत्रालय द्वारा इस प्रकार की कोई सिफारिशें नहीं की गई हैं।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) : राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (एनएसएबी) ने रक्षा मंत्रालय के पुनर्गठन पर कोई औपचारिक सिफारिश नहीं की है।

(च) : अनुबंध संलग्न है।

लोक सभा में दिनांक 17 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 3892 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर रक्षा विनिर्माण के बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं जिसमें पीएसयू एवं निजी उद्योग भी भागीदार हो सकते हैं:-

i. रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी) को 2016 में संशोधित किया गया है जिसमें घरेलू रक्षा उद्योग के विकास को बढ़ावा देने हेतु विशिष्ट प्रावधान लागू किए गए हैं ।

ii. रक्षा उपस्कर के स्वदेशी डिजाइन आर विकास को बढ़ावा देने हेतु डीपीपी-2016 में अधिप्राप्ति की नई श्रेणी 'खरीदो {भारतीय-आईडीडीएम (स्वदेशी रूप से अभिकल्पित, विकसित एवं विनिर्मित)}' की शुरूआत की गई है । पूंजीगत उपस्कर की अधिप्राप्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है । इसके अलावा, 'खरीदो (वैश्विक)' और खरीदो एवं बनाओ (वैश्विक)' श्रेणियों के बजाए पूंजीगत अर्जन की 'खरीदो (भारतीय)' और 'खरीदो एवं बनाओ(भारतीय)' श्रेणियों को वरीयता प्रदान की गई है ।

iii. सरकार ने ' सामरिक साझेदारी (एसपी) माडल' अधिसूचित किया है जिसमें एक पारदर्शी और प्रतियोगी प्रक्रिया के जरिए भारतीय संस्थाओं के साथ दीर्घकालिक सामरिक साझेदारियां स्थापित करने की परिकल्पना की गई है जिनमें वे प्रौद्योगिकी अंतरणों के लिए वैश्विक मूल उपस्कर विनिर्माताओं (ओईएम) के साथ गठबंधन करेंगे ताकि घरेलू विनिर्माण अवसंरचना और आपूर्ति श्रृंखलाएं स्थापित की जा सकें ।

iv. 'बनाओ' प्रक्रिया को सरलीकृत बनाया गया है जिसमें भारतीय उद्योग के लिए 90% विकास लागत का वित्त-पोषण सरकार द्वारा करने और 10 करोड़ रूपए (सरकार द्वारा वित्त-पोषित) और 3 करोड़ रूपए (उद्योग द्वारा वित्त-पोषित) से अनधिक विकास लागत वाली परियोजनाओं को एमएसएमई के लिए आरक्षित करने हेतु प्रावधान किए गए हैं ।

v. 'बनाओ-॥' उप श्रेणी हेतु अलग प्रक्रिया अधिसूचित की गई है जिसमें अनेक पर्यावरण हितैषी प्रावधान जैसे पात्रता मानदंड में छूट, न्यूनतम दस्तावेजीकरण,

उद्योग/व्यक्ति द्वारा स्वतः सुझाए गए प्रस्तावों पर विचार करने हेतु प्रावधान इत्यादि लागू किए गए हैं ।

vi. सरकार ने देश में आर्थिक विकास और रक्षा उद्येग आधार की वृद्धि के इंजन के रूप में कार्य करने के लिए दो रक्षा औद्योगिक गलियारे बनाने का निर्णय लिया है । ये तमिलनाडु में चैन्ने, होसुर, कोयम्बटूर, सालेम और तिरूचिरापल्ली तक फैले हुए हैं और उत्तरप्रदेश (उ.प्र.) में अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर और लखनऊ तक फैले हैं ।

vii. अप्रैल, 2018 में रक्षा के लिए रक्षा उत्कृष्टता नवोन्मेष (आईडीईएक्स) शीर्षक से एक नवोन्मेष पारिप्रणाली शुरू की गई है । आईडीईएक्स का उद्देश्य एमएसएमई, स्टार्ट अप्स, वैयक्तिक नवोन्मेषकों, रक्षा और विकास संस्थानों और शैक्षिक संस्थानों सहित उद्योगों को शामिल कर रक्षा और एअरोस्पेस में नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक पारिप्रणाली का सृजन करना है और उन्हें अनुदान/निधीयन अन्य सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वे रक्षा और अनुसंधान कर सकें जिसकी भारतीय रक्षा और एअरोस्पेस आवश्यकताओं के लिए भविष्य में अपनाने की संभावना है ।

viii. सरकार ने घटकों और रक्षा प्लेटफार्मों में प्रयुक्त स्पेयर्स के स्वदेशीकरण के लिए मार्च 2019 में एक नई नीति अधिसूचित की है जिसका उद्देश्य एक उद्योग पारिप्रणाली का सृजन करना है जो महत्वपूर्ण घटकों (एलोएज और विशेष सामग्रियों) के स्वदेशीकरण और भारत में विनिर्मित रक्षा उपकरण और प्लेटफार्म के लिए सब-असेम्बली में सक्षम हो ।

ix. क्षेत्र में निवेश हेतु अवसरों, प्रक्रिया और नियामक आवश्यकताओं से संबंधित प्रश्नों का समाधान करने के साथ-साथ सभी आवश्यक सूचना मुहैया कराने के लिए मंत्रालय ने रक्षा निवेश प्रकोष्ठ का सृजन किया है ।

x. एफडीआई नीति में संशोधन किया गया है और संशोधित नीति के अनुसार, 49 प्रतिशत तक एफडीआई के स्वचालित मार्ग के अंतर्गत और जहां कहीं इसके फलस्वरूप आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच की संभावना हो अथवा रिकार्ड किए जाने वाले अन्य कारणों हेतु 49 प्रतिशत से अधिक एफडीआई सरकारी मार्ग के जरिए अनुमत है ।

xi. आईडीआर अधिनियम के तहत औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के उद्देश्य से रक्षा उत्पाद सूची को संशोधित किया गया है और अधिकांश घटकों, हिस्सों, उप-प्रणालियों, परीक्षण उपस्करों, उत्पादन उपकरणों को सूची से हटा दिया गया है ताकि उद्योग के लिए, विशेषकर, लघु और मध्यम प्रकृति के उद्योग में प्रवेश करने में आ रही बाधाओं को कम किया जा सके । आईडीआर अधिनियम के तहत मंजूर किए गए औद्योगिक लाइसेंस की प्रारंभिक वैधता को 3 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष तक किया गया है और यह भी प्रावधान किया गया है कि उसे मामला-दर-मामला आधार पर आगे 3 वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकेगा । अब तक सरकार ने मार्च 2019 तक 439 लाइसेंस जारी किए हैं जिनमें 264 कंपनियां शामिल हैं । औद्योगिक लाइसेंस टैंकों और अन्य सशस्त्र लड़ाकू वाहनों, रक्षा एअर क्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट और कलपुर्जों, युद्ध पोत, शस्त्र और गोलाबारूद और रक्षा उपकरण की संबद्ध मदों, कलपुर्जों और सहायक उपकरणों के विनिर्माण हेतु जारी किए जाते हैं । इसके अतिरिक्त, बड़ी संख्या में रक्षा घटकों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है । 8000 से अधिक एमएसएमई हैं जो ओएफबी और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वेंडर बेस में से हैं जो उनको विभिन्न मदों की आपूर्ति करते हैं।

xii. निर्यात स्वीकृति प्रक्रिया को सरल व कारगर बनाया गया है और पारदर्शी तथा आनलाइन किया गया है ।

xiii. सरकार ने सार्वजनिक/निजी उद्योग विशेष रूप से एमएसएमई की भागीदारी को अनुदानों के प्रावधान के जरिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) की स्थापना की है ताकि रक्षा अनुप्रयोगों के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी क्षमता में वृद्धि करने हेतु ईको-सिस्टम सृजित किया जा सके।

xiv. निजी उद्योगों के लिए समान अवसर पैदा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के लिए उत्पाद शुल्क छूट हटा दी गई थी।

****